रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082025-265407
CG-DL-E-13082025-265407

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3595] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947
No. 3595] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

का.आ. 3687(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि भू-मार्ग या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या मालों के वहन के लिए परिवहन के उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 1 के अधीन आती है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा बनाई जाए;

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 821(अ), तारीख 14 फ़रवरी, 2025 द्वारा तारीख 16 फ़रवरी, 2025 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोग उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार यह राय होने के नाते कि सार्वजनिक हित में विस्तार की आवश्यकता है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का. आ. 821(अ), तारीख 14 फ़रवरी, 2025 में निर्दिष्ट अवधि को 16 अगस्त, 2025 से छह मास की और अवधि के लिए विस्तारित करती है, जिसके दौरान उक्त औद्योगिक उपक्रमों में लगी सेवाएं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा होंगी।

[फा. सं. एस-11017/03/2025-आई.आर.(पी.एल.)]

अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2025

S.O. 3687(E).— WHEREAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the industry of Transport (other than railways) for the carriage of passengers or goods, by land or water, which is covered under item 1 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND, WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 16th February, 2025 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 821(E), dated the 14th February, 2025;

AND, WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the declaration of public utility service, status to the said industry for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government being of the opinion that, the public interest requires extension, hereby extends the period specified in the notification number S.O.821(E), dated the 14th February, 2025 for a further period of six months with effect from the 16th August, 2025 during which the services engaged in the said industries to be a public utility service for the purposes of the said Act.

[F. No. S-11017/03/2025- IR(PL)]

AJOY SHARMA, Jt.Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA